

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान् जी. निवेदन है कि जमीन का अपने पिता के नाम में इस्तीफा आवेदन पेश किया है। जमीन के पिता का नाम राजेश रेड्ड ने कायापत्र दीनमोहन दर्ज है। जिनकी सत्य पत्र-चाल उनके पुत्र की वाकिफत में बारा का ही नाम दर्ज है। जमीन के पट-चाल दस्तावेजों में उनके पिता का नाम इकबुला ही दर्ज है। जमीन के पिता के दोनो सगे भाइयों उस व रफदात में अपने बंधनों में उनके अर्ध का नाम इकबुला होगा बताया है। भू.अ. नि. में भी जमीन के पिता का सही नाम इकबुला होगा बताया है। बादराज दीनमोहन नाम का एक कोर्ट व्यक्ति पत्र-चाल में नहीं है। अतः जमीन के रजिस्ट्रार के नाम डबल काउन्टर ख. नं. 80 व 241/100 तथा अमीर ख. नं. 87/7 में जमीन के पिता का नाम बारा के स्थान पर इकबुला दर्ज किया जाना उचित है।

साक्षर
29.6.18
पं. अ. नि.

12
I.R. अर्जिया
21/6/18
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

आदेश

तहसीलदार, सेड़वा, I.R. अर्जिया, पटवारी कामगार से प्राप्त जंच रिपोर्ट तथा अर्जों द्वारा पेश दस्तावेजों तथा बयान जवाबों के आधार पर जमीन का रजिस्ट्रार पत्र खींचार कर प्रार्थी के पिता का नाम बादराजे स्थान पर शुद्ध नाम इकबुला इस्तेफा करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इकबुला नाम के नाम का तहसीलदार सेड़वा के अर्जिया दिया जाता है। पत्रावली शुमार होकर दाखिल دفتر है।



उप खण्ड अधिकारी
सेड़वा

293
18

2016/00230
29.6.18

मांश
29

रुग्
र

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अमीरागढ़ व अरकाउर की जमाबन्दी

संवत् 2073-76 ^{क्र.श.:} खाता संख्या 30 व 36 में -

हमारे पिताजी का नाम कादरा अंकित है। जबकि मेरे
पिताजी का सही नाम अवदुला है। तबले दुरुस्त
कर अवदुला करने की कृपा करावे।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।


प्रार्थी

दिनांक :

67 संसाधान

दृष्टीया

अमीरागढ़